न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्हौत्रा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 37/दावा/2019

1. प्रशान्त आयु 16 वर्ष आ0 हरिसिंह जाति मीणा नाबालिग बबिलायत माता वर्षा मीणा निवासी सेंलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15 देवकन्या कॉलेज वाली गली पटेल नगर, देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. शिवानी आयु 18 वर्ष पुत्री हरिसिंह जाति मीणा निवासी सेलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15 देवकन्या कॉलेज वाली गली के किनारे नगर, देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. वर्षा आयु बालिंग पत्नी हरिसिंह जाति मीणा निवासी सेलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15 देवकन्या कॉलेज वाली गली के किनारे, देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह आयु बालिंग आ0 स्वर्गीय नारायण जाति मीणा निवासी सेलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी हाल मुकाम नोकरी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय राकड का झौपडा (बटवाडी) ग्राम पंचायत उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. लोकेश आयु बालिंग आ0 स्वर्गीय नारायण जाति मीणा निवासी सेंलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. आशा आयु बालिंग पुत्री स्वर्गीय नारायण जाति मीणा निवासी सेंलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. कोयल देवी उर्फ बदाम देवी आयु बालिंग धर्मपत्नी स्वर्गीय नारायण जाति मीणा निवासी सेंलादांता रोड, नहर के किनारे पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब एवं आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली तहसील, हिण्डोली जिला–बून्दी।
6. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 188, आर0टी0एक्ट

वादीगण अभिभाषक :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर।

प्रतिवादी – श्री महेश नामा

निर्णय दिनांक :– 31/07/2023

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण का सजरा वाद पत्र में अंकित है। भूमि खाता संख्या नया 25 पुराना 61 की भूमि खसरा संख्या 851 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में नारायण पिता भवाना मीणा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

का सयुक्त खातेदारी हक व हिस्सा 2/3 निहित है एवं भूमि खाता संख्या नया 19 पुराना 23 की भूमि खसरा संख्या 554 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 4 बिस्वा में खातेदार नारायण पिता भवाना मीणा का सयुक्त हक व हिस्सा 1/2 निहित है तथा भूमि खाता संख्या नया 23 पुराना 59 की भूमि खसरा संख्या 557 रकबा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 943/554 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में खातेदार नारायण पिता भवाना मीणा का सयुक्त हक व हिस्सा 5/7 निहित है तथा भूमि खाता सुख्या नया 24 पुराना 60 की भूमि खसरा संख्या 842 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 941/806 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 942/844 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में खातेदार नारायण पिता भवाना मीणा का सयुक्त हक व हिस्सा 15/72 निहित है, तथा शेष हिस्सा सहखातेदारान का है जिनके खिलाफ वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पक्षकार नहीं बनाया है। उपरोक्त कृषि भूमिया वाके ग्राम सेंलादांता पटवार मण्डल देवा का खेडा भू0अ0नि0 क्षेत्र हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि खाता संख्या नया 201 पुराना 183 की भूमि खसरा संख्या 271/696 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के गैर खातेदारी में दर्ज है, तथा भूमि खाता संख्या नया 77 पुराना 66 की भूमि खसरा संख्या 775/167 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बिस्वा जो नारायण पिता भवाना के खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या नया 184 पुराना 165 की भूमि खसरा संख्या 282 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 283 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 284 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 287 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 288 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 298 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 465 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 468/693 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 32 बीघा में नारायण पिता भवाना का सयुक्त हक व हिस्सा 1/10 निहित है एवं भूमि खाता संख्या नया 182 पुराना 163 की भूमि खसरा संख्या 280 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बिस्वा में नारायण पिता भवाना का सयुक्त हिस्सा 3/8 निहित है व भूमि खाता संख्या नया 183 पुराना 164 की भूमि खसरा संख्या 267 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 268 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 269 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 271 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 279 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 293 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 294 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 297 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में नारायण पिता भवाना मीणा का सयुक्त हम व हिस्सा 2/3 निहित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान का है जिनके विरूद्ध वादीगण कोइ कार्यवाही नहीं चाहने से पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उपरोक्त कृषि भूमिया वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जाति से मीणा होने से इनके उपर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता, लेकिन मीणा जाति में प्रचलित रिति रिवाज एवं प्रथा अनुसार पुरानी हिन्दु विधि लागू होती है एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प–5(1) राजस्व 6/97/18 दिनांक 08.01.2007 उप शासन सचिव के आदेश के तहत एवं विभागीय परिपत्र 8.9.1997 के द्वारा पैत्रक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है पैत्रक कृषि भूमि पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सहखातेदार कृषक होते है, चाहें राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो फिर भी पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल से ही सह कृषि होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकता है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो ऐसी अवस्था में राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
हि...ली (बून्दी)

काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है, चूंकि इस वाद पत्र में वादी संख्या 1 व 2 के दादाजी नारायण वल्द भवाना मीणा के खातेदारी में जमीन विस्थित है तथा उनकी मृत्यु 2017–18 में ही चुकी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता की खाते की कृषि भूमि को विरासत से अपने नाम नहीं करवा रहा है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह ने अपनी विवाहिता पत्नी वादी संख्या 3 तथा अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न सन्ताने 1 व 2 सन् 2004 से कुरता पूर्वक व्यवहार कर प्रताडित करके छोड दिया तभी से वादीगण अपना जीवन अलग रहकर व्यतीत कर रहे हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह अपने पिता के खातेदारी कृषि भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित है अपना व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का नाम विरासत से नहीं खुलवाना चाह रहा है तथा अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर वादीगण की बिना अनुमति सहमति के चोरी छिपे बिना किसी आवश्यकता के बैचान करने पर आमदा है इसलिए उक्त हिस्सेनुसार वादीगण अपनी पैतृक कृषि भूमि को अपने हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में घोषणात्मक डिक्री द्वारा दर्ज करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पास अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई कानूनी उपचार नहीं है प्रतिवादी संख्या 5 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद में तहसीलदार साहब एवं उप पंजीयक महोदय हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है जिन्हें कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाने के उपरान्त ही उनके विरूद्ध वाद पेश किया जा सकता है परन्तु वादीगण का उक्त वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जिसमें राज्य सरकार को दो माह का नोटिस जारी कर वाद पेश करने का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति को बैचान, दान, वसीयत के माध्यम से हस्तान्तरित कर देंगे जिससे वादीगण का वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा इसलिए धारा 80(2) जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी संख्या 3 ने वादी संख्या 1 व 2 के हितार्थ प्रतिवादी संख्या 1 से अपने ससुर नारायण पित भुवाना मीणा के खाते की कृषि भूमि का नामान्तरण खुलवाने एवं वादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए दिनांक 23.02.2019 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने नारायण पिता भवाना मीणा के खाते की कृषि भूमि को अपने नाम व वादी संख्या 1 व 2 के नाम कराने से मना कर दिया गया तथा कृषि भूमि को अन्यों के बैचान करने की धमकी दी इसलिए वादीगण के पास उक्त वाद पेश करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है। यही वादोत्पन्न का कारण हैं जो लगातार हो रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि व प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमावे कि वह वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित विरासत से प्राप्त कृषि भूमियों को अन्य व्यक्तियों को बैचान, दान, वसीयत इत्यादि तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे और उक्त कृषि भूमियों में वादीगण को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित करवावे। वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमिया न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वादपत्र उचित कोर्टफीस मय तलबाना के दो प्रतियों में अन्दर अवधी पेश है। अतः श्रीमान से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण को इस आशय की डिक्री बमय खर्चा सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित विरासत से प्राप्त कृषि भूमिया वाके ग्राम सेलादांता, पेच की बावडी में अपने हिस्से की भूमि या उसके किसी भी हिस्से को अन्य व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत इत्यादि किसी भी मामलात से हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त भूमिया उसके हिस्से के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं करे, ऐसा प्रतिवादी संख्या 1 न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों में वादीगण को उनके हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में उनका नाम बतौर खातेदार अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 6 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियों का उसके किसी हिस्से का बैचान, दान, वसीयत इत्यादि कोई भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया जावे ऐसा प्रतिवादी संख्या 6 न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पारिवारिक सजरा सही नहीं होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 स्वीकार है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मीणा जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दु विधि लागू नहीं होती है इन पर राजस्थान में प्रचलित विधि लागू होती है। जिसमें पुत्री व पत्नी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज होने योग्य है। वादपत्र की चरण संख्या 5 कानूनी व तकमिली है। वादपत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है। वर्तमान में उक्त भूमिया प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं है और बिना नाम दर्ज हुये भूमियों का अन्तरण, रहन, बैचान सम्भव नहीं है। वादीगण द्वारा विधि के पालना नहीं की गई है। कानूनन उसे 2 माह का राज्य सरकार को नोटिस देकर वाद प्रस्तुत करना चाहिए। वादपत्र की चरण संख्या 7 व 8 अस्वीकार है व वादपत्र की चरण संख्या 9 व 10 कानूनी है। प्रार्थना वादी स्वीकार नहीं है अस्वीकार है। वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमानें की कृपा करे।

अन्य आपेक्ष– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी भी चरण संख्या में व प्रार्थना में कभी भी यह अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 का कितना हिस्सा दर्ज है और वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से कितनी भूमिया चाहता है। उसके द्वारा इस वाद में यह अंकित नहीं किया है कि वादीगण कितनी भूमियों व कितने हिस्से की भूमि पर अधिकार घोषणा व खातेदारी चाहता है। वाद विधि के अनुरूप नहीं होने सो खारीज होने योग्य है। उपरोक्त भूमिया प्रतिवादीगण के खाते दर्ज नहीं है उक्त भूमियों के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण उक्त भूमियों पर खातेदारी अधिकार घोषणा का अनुतोष नहीं मॉग सकते है। व वादपत्र की चरण संख्या 3 में वादी द्वारा खसरा संख्या 271/696 भूमि 1 बीघा 1 बिस्वा को गैर खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया है उक्त भूमिया प्रतिवादीगण के खाते नही है वादीगण द्वारा बिना अधिकारी की भूमियों के लिए खात्तेदारी की मांग की है जो विधि के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण मीणा जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 लागू नहीं होता हैं और वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अन्तर्गत नहीं आने से उक्त व्यक्तियों का पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है मीणा जाति के सदस्य होने से पत्नी व पुत्री का पैतृक सम्पत्ति एवं पति की सम्पत्ति पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार निहित नहीं होता है। वाद विधि के विरूद्ध होने से खारीज फरमाये जाने योग्य है।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

1. आया वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमियों पर वादीगण स्वयं को उनके हिस्सेनुसार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

भार वादीगण

2. आया वादपत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों का रहन/बेचान/दान/वसीयत नहीं करने बाबत वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

भार वादीगण

3. आया वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज नहीं होने से वादी खातेदारी घोषणा का अनुतोष मांग नहीं सकते।

भार प्रतिवादीगण

4. वादी, प्रतिवादीगण मीणा जाति से आते है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। उक्त कारण से वादीगण का पैतृक संपति में कोई अधिकार नहीं है। वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भार प्रतिवादीगण

5. अनुतोष।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1, शपथ पत्र प्रशान्त मीणा पी0डब्लू–2, शिवानी मीणा पी0डब्लू–3, नकल जमाबंदी खाता संख्या 25, 19, 23, 24 ग्राम सैलादांता, खाता संख्या 77, 184, 182, 183, ग्राम पेंच की बावडी व आधार कार्ड, विधालय अंक तालिका की छायाप्रति व राशन कार्ड की छायाप्रति पेश किये है। वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

हमने वकील वादीगण की संक्षिप्त बहस सुनी। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमियां वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 के दादाजी की पैतृक/पुस्तैनी भूमियॉ है जिन पर वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 का जन्म से ही अधिकार है। वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 की माता वादी संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 1 ने छोड रखा है व वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 को भूमियों में अधिकार नहीं देना चाहता है जिस कारण उसके द्वारा अब तक भी वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 के के दादाजी नारायण की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी विरासत का नामान्तकरण आदिनांक तक नहीं खुलवाया है। वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 का उक्त भूमियों पर जन्म से ही अधिकार होने के कारण विवादित भूमियों में अपना हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने के व बटवारा करवाने के अधिकारी है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 को मुताबिक हिस्सेनुसार खातेदार के रूप में अंकित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वादीगण को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करें।

प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या –1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

आया वादपत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमियों पर वादीगण स्वयं को उनके हिस्सेनुसार खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

भार वादी

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमाबंदी खाता संख्या 25, 19, 23, 24 ग्राम सैलादांता, खाता संख्या 77, 184, 182, 183, ग्राम पेंच की बावडी प्रस्तुत की है। साथ ही अपने आधार कार्ड व राशन कार्ड की छायाप्रति भी पेश की है जिससे ये स्पष्ट है कि वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री है जिनको उनके दादाजी नारायण आ0 भवाना मीणा के नाम दर्ज भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निहित है पर वादीगण हिस्सेनुसार सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादी संख्या 3 द्वारा अपने बयान में वादी संख्या 1 व 2 के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के दो अन्य संताने होना भी बताया है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

आया वादपत्र के चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों का रहन/बेचान/दान/वसीयत नहीं करने बाबत वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

भार वादी

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदीयों में विवादित भूमियों में नारायण वल्द भवाना की खातेदारी में दर्ज है, जो कि वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 के दादाजी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड व राशनकार्ड की छायाप्रति व वादीगण द्वारा दर्ज करवाये गये अपने बयानों व शपथ पत्रों से प्रमाणित है कि वादी संख्या 1 व 2 प्रति वादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री है जिनको जन्म से ही अपने दादाजी के नाम अंकित भूमियों में अधिकार निहित है। वादीगण का उक्त भूमियों में कोई अधिकार नहीं होने बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विवादित भूमियों पर वादीगण का जन्म से ही अधिकार होने से वह प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का रहन/बेचान/दान नहीं करने हेतु पाबंद करवाने का अधिकार रखते है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

आया वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज नहीं होने से वादी खातेदारी घोषणा का अनुतोष मांग नहीं सकते।

भार प्रतिवादीगण

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड विधालय अंक तालिका व राशन कार्ड की छायाप्रति से प्रमाणित है कि वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र–पुत्री है जिन्हे उनके दादाजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि जन्म से ही अधिकार प्राप्त है चाहे भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आज दिनांक में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न हो। विवादित भूमि कें खातेदार नारायण जो कि वादीगण संख्या 1 व 2 के दादाजी है कि मृत्यु होने से भूमि नामान्तकरण से प्रतिवादीगण के नाम भविष्य में दर्ज ही होनी है। अतः विवादित भूमि में जन्म से ही अधिकार होने से वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 अपना हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

4. वादी, प्रतिवादीगण मीणा जाति से आते है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। उक्त कारण से वादीगण का पैतृक संपति में कोई अधिकार नहीं है। वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भार प्रतिवादीगण

उक्त तनकी के सम्बन्ध में उपर तनकीवार दिए गए विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण क्रम संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 की संताने है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता नारायण के नाम अंकित भूमियॉ विरासत मिलनी है, उन भूमियों पर वादी संख्या 1 व 2 का जन्म से ही अधिकारी है। मीणा जाति पर पुराने प्रचलित रिति–रिवाज अनुसार पुरानी हिन्दु विधि लागू होती है। पैतृक संपति में जन्म से ही अधिकार होने से पिता के जीवनकाल में ही सहकर्मी होने के नाते अधिकारों की घोषणा करवाई जाकर बंटवारा करवाने का अधिकार वादी संख्या 1 व 2 को है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों में वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा निम्नानुसार भूमि वाके ग्राम सैलादांता खाता संख्या 25 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/3 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/60, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/60, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 1/20 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/12 भूमि ग्राम सैलादांता खाता संख्या 19 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/2 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/40, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/40, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 3/40 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/8, भूमि ग्राम सैलादांता खाता संख्या 23 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/7 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/140, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/140, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 3/140 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/28, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/28, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/28, भूमि ग्राम सैलादांता खाता संख्या 24 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 3/72 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 3/1440, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 3/1440, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 1/160 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 3/288, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 3/288, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 3/288, भूमि ग्राम पेंच की बावडी खाता संख्या 77 में अंकित खातेदार नारायण पिता भुवाना को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/20, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा (1/40) [3/20] व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/4, भूमि ग्राम पेंच की बावडी खाता संख्या 184 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/40 को

संशोधन आदेश 23/8/25 से हिस्सा 3/20 संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/800, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/800, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 3/800 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/160, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/160, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/160, भूमि ग्राम पेंच की बावडी खाता संख्या 182 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/8 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/160, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/160, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 3/160 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/32, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/32, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/32, भूमि ग्राम पेंच की बावडी खाता संख्या 183 में निहित नारायण पिता भुवाना, हिस्सा 1/3 को विलोपित कर वादी संख्या 1 प्रशांत मीणा का हिस्सा 1/60, वादी संख्या 2 शिवानी मीणा का हिस्सा 1/60, प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह मीणा का हिस्सा 1/20 व प्रतिवादी संख्या 2 लोकेश का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 आशा का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 कोयली देवी उर्फ बदाम देवी का हिस्सा 1/12 पटवार मण्डल पेंच की बावडी घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उपर अंकित हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। खाता संख्या 201 ग्राम पेंच की बावडी गैरखातेदारी में दर्ज होने से अधिकारों की घोषण नहीं की गई है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)